पत्र सं०–08 / ज०सं०(नि०)डाल०–13 / 2009 :–

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग
आदेश

श्री राधेश्याम पाण्डेय, तत्कालीन सहायक अभियंता, (याँत्रिक) विद्युत अवर प्रमण्डल, मंडल (पलामू) को एकीकृत बिहार की अवधि में वर्ष 1997–98 में इनके अधीनस्थ भंडार सामग्रियों की चोरी / गबन में दोषी पाये जाने के फलस्वरूप जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक– 482 दिनांक– 29.03.2003 द्वारा सेवा से बर्खास्त किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध श्री पाण्डेय द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में याचिका सं०– WP(S) - 2138 /2003 दायर किया गया।

2. श्री राधेश्याम पाण्डेय तत्कालीन सहायक अभियंता, याँत्रिक अवर प्रमण्डल संख्या–01, ईचा चालियामा को याँत्रिक प्रमण्डल, ईचा चालियामा में कार्यरत अवधि 1990–94 में बरती गई अनियमितता के लिए जल संसाधन विभाग, बिहार के आदेश सं०–172 दिनांक– 05.05.2000 के प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई। विभागीय कार्यवाही के निष्पादन के फलस्वरूप इन्हें जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक– 401 दिनांक– 30.06.2004 द्वारा दिनांक– 29.03.2003 के प्रभाव से सेवा से बर्खास्त किया गया। इस आदेश के विरूद्ध भी श्री पाण्डेय द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में याचिका सं०– WP(S) - 6309 of 2004 दायर किया गया।

3. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा उक्त दोनों याचिकाओं को एक साथ संलग्न कर, दिनांक– 25.08.2005 को न्यायनिर्णय पारित किया गया। इस आदेश द्वारा उक्त दोनों 'बर्खास्तगी' आदेशों को निरस्त करने के साथ–साथ प्रतिवादी राज्य को अनियमितता के मामले में नियमानुसार कार्यवाही करने की छूट दी गई।

4. (i) उक्त माननीय उच्च न्यायालय, राँची के न्यायनिर्णय दिनांक– 25.08.2005 के विरूद्ध विभाग द्वारा LPA No. - 04/2006 with IA No. 83/2006 दायर की गई जो time barred के होने आधार पर दिनांक– 18.04.2006 को खारिज कर दिया गया। फलतः न्याय निर्णय दिनांक– 25.08.2005 के अनुपालन में श्री पाण्डेय का पदस्थापन विभागीय अधिसूचना संख्या– 2651 दिनांक– 29.06.2006 के द्वारा बाँध रूपांकण अंचल, राँची किया गया। किन्तु पद रिक्त नहीं रहने के कारण आदेश संख्या– 385 दिनांक– 05.07.2006 द्वारा इनका पदस्थापन समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल–2, देवघर किया गया। जहाँ श्री पाण्डेय दिनांक– 06.07.2006 (पूर्वाहन्) को पदभार ग्रहण किये। इस पद से श्री पाण्डेय दिनांक– 30.11.2012 को वार्द्धक्य सेवानिवृत हो गये।

(ii) उक्त न्यायनिर्णय के आलोक में श्री पाण्डेय के विरूद्ध याँत्रिक प्रमण्डल ईचा–चालियामा के अन्तर्गत कृत अनियमितता के सापेक्ष जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक– 1683 दिनांक– 29.05.2010 तदुपरान्त संशोधित ज्ञापांक– 4519 दिनांक– 31.08.2012 के द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। विभागीय कार्यवाही का निष्पादन विभागीय आदेश ज्ञापांक– 2086 दिनांक– 07.03.2014 द्वारा किया गया, जिसमें श्री पाण्डेय को आरोप मुक्त किया गया।

(iii) उक्त न्यायनिर्णय के आलोक में ही याँत्रिक प्रमण्डल, मंडल (पलामू) के अधीन कृत अनियमितता के सापेक्ष झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम–139 के अन्तर्गत विभागीय पत्रांक– 1248 दिनांक– 11.02.2014 द्वारा श्री पाण्डेय से स्पष्टीकरण पूछ कर समीक्षोपरान्त द्वितीय कारण पृच्छा की गई एवं अंतिम रूप से विभागीय आदेश ज्ञापांक– 2842 दिनांक– 24.05.2016 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गया :–

"देय पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत की कटौती 05 वर्षों के लिए"।

5. श्री पाण्डेय द्वारा निलंबन/बर्खास्तगी अवधि से पुर्नबहाल/प्रभार की तिथि– 06.07.2006 तक की अवधि को कर्त्तव्य अवधि मानकर बकाया भुगतान हेतु माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में याचिका सं०– WP(S) No - 6045 /2006 दायर किया गया। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक– 04.02.2015 को न्याय निर्णय पारित किया गया, जिसका operative part निम्नवत् है –

Thereafter, the departmental proceeding started afresh but in the meanwhile the petitioner was reinstated in service with effect from 06.07.2006, his joining was also accepted by respondent-state of Jharkhand for the water Resources Department. The petitioner has retired from service with effect from 30.11.2012. The final order has been passed by the disciplinary authority on 07.03.2014 exonerating the petitioner from all charges.

Now the grievance of the petitioner is that the case of the petitioner be considered for release of salary of the suspension period ie. from 05.05.2000 till the date of reinstatement i.e on 06.07.2006 in the light of provision as contained in the clause 97 (ii) of the Jharkhand service code.

The learned counsel for the respondents has filed counter affidavit and has fairly submitted that no decision has been taken in this regard by the authorities concerned.

The submission has been made by the counsel for the respondents at para-6 of the counter affidavit wherein it has been stated that the period spent by the Petitioner under suspension and dismissal is concerned, the authority will consider and make specific order for the Payment of the impugned period in the light of provision as contained in 97(ii) of Jharkhand service code.

In the light of the submission on behalf of parties the writ petition is disposed of directing respondent no. 2, the commissioner-cum secretary, water Resources Govt. of Jharkhand to take decision in the light of statement made in Para- 6 as referred herein above within reasonable period preferably within eight weeks from the date of receipt of copy of this order The concerned respondent shall take decision in the light of the provision as contained in Rule 97 (ii) of the Jharkhand Service code and also in the light of entire aspects which the petitioner will bring before him. If the concerned authorities come to the conclusion that the petitioner is entitled to get the arrears of salary to the intervening period in question, the required monetary benefits shall be released in his favour within four weeks from the date of such decision.

6. उक्त न्यायनिर्णय (दिनांक– 04.02.2015) के अन्तर्गत सेवा संहिता के नियम–97(ii) के प्रावधान के अन्तर्गत नियमानुसार salary के entitlement पर विचार करने का आदेश पारित है, परन्तु यह न्यायनिर्णय श्री पाण्डेय के विरूद्ध मात्र ईचा चालियामा मामले जिसमें विभागीय आदेश ज्ञापांक– 2086 दिनांक– 07.03.2014 द्वारा इन्हें आरोप मुक्त किया गया है, के आधार पर पारित किया गया है। माननीय न्यायालय के समक्ष श्री पाण्डेय द्वारा विभागीय आदेश

ज्ञापांक– 2842 दिनांक– 24.05.2016 द्वारा संसूचित दण्ड के तथ्य को नहीं रखा गया है। इस बिन्दु का उल्लेख करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष Modification Prayer-Civil Review No.- 49/2016 The State of Jharkhand vs Radhe Shyam Pandey शपथ संख्या–21505 दिनांक– 03.08.2016 के माध्यम से दायर की गई है। यह वाद माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

7. अतएव, उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में दोनों विभागीय कार्यवाही एवं उसके अंतिम फलाफल को दृष्टि में रखकर सेवा संहिता के नियम–97 की उप–कंडिकाओं में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत श्री पाण्डेय के निलंबन तिथि से पुर्नबहाल तिथि के बीच की अवधि यथा दिनांक– 05.05.2000 –05.07.2006 के संबंध में निम्न निर्णय लिया जाता है :–

(क) याँत्रिक प्रमण्डल ईचा चालियामा के मामले में श्री पाण्डेय आरोपमुक्त हो चुके हैं। अतः सेवा संहिता के नियम–97(ii) के आलोक में इसके अन्तर्गत प्रभावकारी अवधि दिनांक– 05.05.2000 से दिनांक– 28.03.2003 तक की अवधि के लिए पूर्ण वेतन एवं भत्ता देय होगा।

(ख) याँत्रिक प्रमण्डल, मण्डल (पलामू) अन्तर्गत मामले में विभागीय आदेश ज्ञापांक– 2842 दिनांक– 24.05.2016 के द्वारा दण्ड संसूचित है। अतः सेवा संहिता के नियम–97(v) के प्रावधान के अर्न्तगत दिनांक– 29.03.2003 से 05.07.2006 तक की अवधि के लिए श्री पाण्डेय को वेतन एवं भत्ते की 50(पचास) प्रतिशत राशि देय होगी, परन्तु यह अवधि कर्त्तव्य अवधि नहीं माना जायेगा। यह आदेश Civil Review No. - 49/2016 The State of Jharkhand vs Radhe Shyam Pandey के अंतिम न्याय निर्णय से आच्छादित रहेगा।

8. उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

9. एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह0/–

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : ...../राँची, दिनांक .....

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/योजना–सह वित्त (वैयकित्तक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2859 /राँची, दिनांक 29-06-17

प्रतिलिपि :– उप सचिव (प्रबंधन) प्रशाखा–2, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, (याँत्रिक), जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, धुर्वा, राँची/अधीक्षण अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल–2, देवघर/कार्यपालक अभियंता, याँत्रिक प्रमण्डल, मण्डल, मेदिनीनगर/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मेदिनीनगर/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, देवघर, झारखण्ड/श्री राधेश्याम पाण्डेय, सेवानिवृत सहायक अभियंता द्वारा श्री पी०के० श्रीवास्तव, रामजानकी पथ, काली मंदिर के उत्तर, संजय गाँधी नगर, कंकड़बाग, पटना–800026/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

29.6.17

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव